F.No.35 - 5 / 2017 - TS.III

Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education

*_*_*_*_*

Shastri Bhawan, New Delhi,
dated, the 28th July, 2017

To

The Directors,
National Institutes of Technology (NITs)
(excluding NIT, Andhra Pradesh)

Subject:- **Amendments in the First Statutes of National Institutes of Technology (NITs) - regarding.**

Sir \ Madam,

I am directed to forward herewith a copy of the Notification bearing S.O. 947 (E) dated 21st July, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (i) on 24th July, 2017 to notify further amendments in the First Statutes of the National Institutes of Technology (NITs).

2. As per provisions of the Notification, the amendments shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. It is, therefore, requested to kindly adopt the First Statutes of the National Institutes of Technology (Amendment) Statutes, 2017 for implementation.

Yours faithfully,

[A.K. Singh]
Under Secretary to the Government of India
Tel: 23384897
Fax: 23384345

Encl.: as above.

[MHRD\RAVI\D\NITs - Statutes\Amendment Related Letters.docx]

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 651] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 24, 2017/श्रावण 2, 1939
No. 651] NEW DELHI, MONDAY, JULY 24, 2017/ SRAVANA 2, 1939

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 947(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 (2007 का 29) की धारा 26 की उपधारा (3) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिनियमों का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित परिनियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला परिनियम (संशोधन) परिनियम, 2017 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल परिनियम कहा गया है) में परिनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"6 बोर्ड के आदेशों का सत्यापन

बोर्ड के सभी आदेशों और विनिश्चयों का निदेशक, निदेशक की अनुपस्थिति में रजिस्ट्रार या इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा सत्यापन किया जाएगा ।"।

3. मूल परिनियमों के परिनियम 8 में, खंड (13) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(13) बोर्ड को राज्य या देश, या विदेश के विभिन्न भागों में सुदूर शिक्षण नीति के माध्यम से ज्ञान के प्रसार के लिए सिफारिशें करना, और विदेशी अभिकरण के साथ करार पर हस्ताक्षर करने के मामलों में संत्रालय के अनुमोदन से करार पर हस्ताक्षर किए जा सकेंगे ;"।

4. मूल परिनियमों के परिनियम 10 में,--

(क) उप परिनियम (1) के खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(5) रजिस्ट्रार, पदेन, सदस्य-सचिव :

परंतु पूर्वोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष किसी विशेषज्ञ को विशेष आमंत्रिती के रूप में आमंत्रित कर सकेगा, तथापि, विशेष आमंत्रिती को मत देने का अधिकार नहीं होगा ;"।

(ख) उप परिनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) सभी वित्तीय प्रस्तावों को विचारण और अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखने से पूर्व वित्तीय समिति के समक्ष रखा जाएगा ;"।

(ग) उप परिनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(3) वित्तीय समिति साधारणतया वर्ष में अधिमानतः शासक बोर्ड की बैठक से पूर्व चार बैठकें करेगी ;"।

(घ) उप परिनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(4) वित्त समिति की बैठक के लिए वित्त समिति के चार सदस्य गणपूर्ति होंगे ;"।

(ङ) उप परिनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(5) अध्यक्ष वित्त समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में निदेशक बैठकों की अध्यक्षता करेगा ;"।

(च) उप परिनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(6) बैठक की सूचना, एजेंडा में मदों को सम्मिलित करने और कार्यवृत्त की पुष्टि के संबंध में इन पहले परिनियमों के उपबंध बोर्ड की बैठकों को जहां तक व्यवहार्य हों, लागू होंगे, उनका वित्त समिति की बैठकों के संबंध में अनुसरण किया जाएगा ;"।

(छ) उप परिनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(7) वित्त समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की प्रति बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी ;"।

5. मूल परिनियमों के परिनियम 11 के खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) बोर्ड या निदेशक की पहल पर या स्व:प्रेरणा से संस्थान को प्रभावित करने वाले किन्हीं वित्तीय प्रस्तावों या मुद्दों पर बोर्ड को अपने विचार बताएगा और अपनी सिफारिशें करेगा ।"।

6. मूल परिनियमों के परिनियम 12 में,--

(क) उप परिनियम (1) के खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ii) केंद्रीय सरकार के मंत्रालय में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से व्यौहार करने वाला निदेशक या उप सचिव या उसका नामनिर्देशिती और मंत्रालय में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के वित्त से व्यौहार करने वाला निदेशक या उप सचिव या उसका नामनिर्देशिती पदेन-सदस्य ।"।

(ख) उप परिनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(3) चार सदस्य भवन और संकर्म समिति की बैठक में गणपूर्ति होंगे ।"।

(ग) उप परिनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(5) भवन और संकर्म समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की प्रति बोर्ड के समक्ष वित्त समिति की विनिर्दिष्ट प्रस्ताव या प्रस्तावों पर, जिस पर बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित हो, पर सिफारिशों के साथ बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी ।"।

7. मूल परिनियमों के परिनियम 13 में,--

(क) उप परिनियम (1) के खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ii) संस्थान के अनुमोदित बजटीय उपबंधों के भीतर गौण संकर्म और मरम्मत तथा अनुरक्षण के संबंध में संकर्मों के लिए आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की मंजूरी देने की शक्ति होगी तथा बोर्ड व्यय की मात्रा के निबंधनों में गौण संकर्म और गौण मरम्मत तथा अनुरक्षण को परिभाषित करेगा ;"।

(ख) उप परिनियम (1) के खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(iii) भवनों और अन्य पूंजी संकर्मों, गौण संकर्मों, मरम्मत, अनुरक्षण और सदृश की लागत के आकलनों को तैयार करवाएगा । भवन और संकर्म समिति गौण संकर्मों, गौण मरम्मत और अनुरक्षण के लागत आकलन का अनुमोदन करेगी ।"।

(ग) उप परिनियम (1) के खंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(v) वह समुचित ठेकेदारों को सूचीबद्ध करने और निविदाओं को स्वीकार करने के लिए उत्तरदायी होगी और उसे संस्थान के संकायाध्यक्ष (पीएंडडी) द्वारा सम्यक्तः सिफारिश किए गए विभागीय संकर्मों, जहां आवश्यक हो, के लिए निदेश देने की शक्ति होगी ।"।

8. मूल परिनियमों के परिनियम 14 में,--

(क) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ii) उसे सिवाय संस्थान के निदेशक के कर्मचारिवृंद के सदस्यों को प्रशिक्षण पर या अनुदेश के पाठ्यक्रम में समय-समय पर बोर्ड द्वारा अधिकथित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए भारत से बाहर भेजने की शक्ति होगी और निदेशक के भारत से बाहर के भ्रमण को अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ;"।

(ख) खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(iii) वह केंद्रीय सरकार की ओर से संस्थान और निदेशक के बीच सेवा की संविदा का निष्पादन करेगा किंतु वह ऐसी संविदा के अधीन किसी बात के लिए वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी नहीं होगा ; और"।

9. मूल परिनियमों के परिनियम 17 में,--

(क) उप परिनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित परिनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) संस्थान के निदेशक की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा कम से कम पांच सदस्यों से मिलकर बनने वाली खोजबीन-सह-चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी । परिषद् का अध्यक्ष उसका अध्यक्ष होगा और उच्चतर शिक्षा विभाग का सचिव या उसका प्रतिनिधि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले तीन अन्य विशेषज्ञों के अतिरिक्त उसका एक सदस्य होगा ।"।

(ख) उप परिनियम (16) के पश्चात् निम्नलिखित उप परिनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(17) संस्थान के निदेशक की अनुशासनिक शक्तियों का विनिश्चय समय-समय पर संबंधित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शासक बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।"।

10. मूल परिनियमों के परिनियम 18 के उप परिनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) उपनिदेशक की नियुक्ति राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के पहले परिनियम के परिनियम 23(5)(क) के अधीन उपबंधों के निबंधनों में गठित चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा की जाएगी" ।

11. परिनियम 21 के उप परिनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप परिनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(3) रजिस्ट्रार के कार्य निष्पादन का पुनर्विलोकन एक वर्ष की सेवा पर बोर्ड द्वारा गठित की जाने वाली समिति द्वारा किया जाएगा ।"।

12. मूल परिनियमों के परिनियम 23 में,--

(क) उप परिनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(3) संस्थान में नियुक्तियों के प्रयोजन के लिए परिषद् या केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित नियम लागू होंगे ।"।

(ख) उप परिनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(4) चयन समिति का, संस्थान के अधीन पदों को विज्ञापन या संस्थान के कर्मचारिवृंद के सदस्यों में से प्रोन्नति द्वारा भरने के लिए (संविदा के आधार पर पदों से भिन्न अन्य) ऐसी रीति में गठन किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा समय-समय पर अध्यादेशों द्वारा अधिकथित किए जाएं ।"।

(ग) उप परिनियम (5) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(क) शैक्षिक कर्मचारिवृंद (निदेशक को छोड़कर) की नियुक्ति या पदोन्नति के लिए अर्हता और अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो अनुसूची 'ङ' में विनिर्दिष्ट की जाएंगी और चयन समिति, शैक्षिक कर्मचारिवृंद (निदेशक को छोड़कर) की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--

(1)	निदेशक या उप निदेशक	-	अध्यक्ष
(2)	कुलाध्यक्ष का नामनिर्देशिती	-	सदस्य
(3)	बोर्ड में दो नामनिर्देशिती, जिनमें से एक बोर्ड के सदस्य से भिन्न एक विशेषज्ञ होगा	-	सदस्य
(4)	संस्थान के बाहर से सीनेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक विशेषज्ञ	-	सदस्य
(5)	संबंधित विभाग का अध्यक्ष (उप निदेशक और प्रोफेसर के पद से भिन्न के लिए)	-	सदस्य

(घ) उप परिनियम (5) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--